

मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि. क्वार्टर्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई
दिनांक 26.06.2025 दोपहर: 01.00 PM बजे, अटल सेवा केन्द्र सुलावास, तहसील-गिर्वा (कुराबड़),

जिला-उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 23.05.2025 एवं स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 23.05.2025 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि." द्वारा प्रस्तावित क्वार्टर्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन खनन परियोजना (एम एल नं. 23/2023 (लीज क्षेत्र 4.0598 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.001 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,01,335 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर्ज, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 2,85,714 TPA, निकट ग्राम-मायदा तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रु. 3.5 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताएं साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 14.09.2024 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।



(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

मुन्हासन उदयपुर
प्रिकशिड कनिाई छरी
नछम ननननी नननन ननन नननन
(ननन) ननननन



वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के खान मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आई.ए रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

श्री लाल सिंह जी, निवासी ग्राम-सुलावास :-

बिल्कुल रोड़ ये रोड़ यहां माईन्स चलती है और एक हमारे आधा पौन किलोमीटर पर रोड़ है। उस पर लीज चल रही है। अवैध माईन्स चल रही हैं कोई लीज वाली माईन्स नहीं है। वहां और वो कहते हैं हमारे 7-8 लाख का खर्चा हो गया तुमने शिकायत करी जो 7-8 लाख का खर्चा हो गया। उस जगह माईनिंग वालो ने खरीद रखा है क्या उसे। 7 लाख का खर्चा हुआ माईनिंग वालो को खरीद रखा इसलिए तो 7 लाख का खर्चा हो गया। माईन्स की लीज है तो उसका खर्चा किसका हो रहा है। हमारे रहवासी के लिए हमारे गांव वालों के लिए और गाय भेसों चारा भी नहीं खाती वहां पर। माईन्स वाले खड़ड़े कर देते हैं तो पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और एक भराव किसी गरीब किसान का ट्रैक्टर भरा होता है तो सैकड़ों अधिकारी साथ में दौड़ जाते। अवैध खनन कर रहा है उसके साथ में दौड़ने वाले कोई नहीं है। एक बजरी का ट्रैक्टर है बिचारा गरीब आदमी का किसान है दस तगारी रेती डाली तो 13 अधिकारी साथ में दौड़ गए और जो अवैध खनन कर रहा है उसके साथ दौड़ने वाला कोई नहीं है। अभी आप जाके रोड़ देखें रोड़ की पॉजीशन देखो आप जा के देखो। हालत देखो खाली। वहां आप जाके देखें मौके पर। वहां हम सब गांव वाले इकट्ठे होंगे। वहां बहुत परेशानी है और एक हमारे महिला सरपंच है घर पर जाके उसको धमकी दी गई। वो सील के लिए पूछते सील माईनिंग वालो ने थोड़ी दी। सील तो सुलावास की जनता ने दी है। सरपंच तो उस समय बनाया था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की साईन करने वाली सरपंच बन सकता। उसका साथ मैं रहकर बच्चा ही काम करेगा या उसका पति ही काम करेगा तो और कौन करेगा। उसकी ओर वीडियो बनाई उसको घर जाकर धमकाया। अवैध खनन हो रहा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते आप। उनके लिए कुछ नहीं हो आप। अधिकारी सब आते अधिकारी सब मिलीभगत है। मिलकर चले जाते बात करके चले जाते और हमारी कोई जनसुनवाई भी नहीं है। कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी है हर विभाग को रिपोर्ट दी है। अभी तक जनसुनवाई नहीं हुई है। अभी भी मौके देखना आप सब। हम बैठे हैं बैठे-बैठे मुंह देखते। बिचारा एक ट्रैक्टर वाले से देढ़-दौ लाख चाह रहे हैं और भरा हुआ 45-70 टन माल उसके लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हैं धन्यवाद।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
प्रशासन उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री गोकुल रेबारी, निवासी ग्राम-सुलावास :-

हमारी ग्राम पंचायत कुराबड़ में आती है जहां एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में ना किसी भी स्कूल में भी कुछ भी खर्च नहीं किया गया है, ना कोई गांव में व्यवस्था की गई है ना इनके द्वारा कोई स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है आज इन्होंने जो माइनिंग में बोला कि हम ये करेंगे उसका जीरो % काम भी नहीं होता है वृक्षारोपण के लिये बोलते हैं खनन की वजह से हजारों पेड़ काटते हैं पर एक भी पेड़ नहीं लगाया जाता है और न ही ट्री गार्ड लगाए जाते हैं।

श्री कालूलाल निवासी ग्राम-सुलावास :-

किसान खेती छोड़ रहा है क्योंकि वहां सूअर, नील गाय और बन्दर आ रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि खेती किसानी सबसे मोटी है ये किसान खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां सूअर, नील गाय और बन्दर आ रहे हैं खेती खराब कर देते हैं खेती की रक्षा करने के लिए रखवाली करनी पड़ती है रातों को खेत पर रहना पड़ता है इसीलिये किसान खेती छोड़ रहा है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए जीव जंतु के लिए भी पैसा होगा फंड आता होगा तो जीव जंतु की जिम्मेदारी भी सरकार ले कि ये फसल ना खराब करें जंतुओं को मारते हैं तो सरकार पकड़ लेती है इसलिए सरकार देखे कि जीव जंतु फसल खराब ना करें हमारा परिवार खत्म हो रहा है पैसा वाला तो कुछ भी कर सकता है कुंए फुट रहे हैं पानी खतम हो रहा है, नदिया फोड़ दी सारी तरफ नदियों का पानी सूख रहा है, ये हालत है किसानों की किसान खेती छोड़ रहे हैं आप कहते हो किसान खेती करे किसान नहीं कर सकता।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., उदयपुर :-

मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि आपने जो भी आपके शिकायत उसको हमने नोट कर लिया है हम SEIAA को भेजेंगे अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई में मांग कर सकते हमारे विभाग से कि आपने क्या भेजा है जनसुनवाई के कार्यवृत्त दूसरे के बारे में आप जो जानते हैं उससे संबंधित बता रहे हैं वो खान विभाग से संबंध है जो आप अवैध खान का बता रहे हैं वो खान विभाग से सम्बन्धित है।

श्री गोकुल रेबारी
कुराबड़
(राज.) सुलावास

श्री बाबूलाल निवासी ग्राम-सुलावास :-

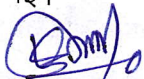
जो यह प्रेजेंटेशन में आपने लिखा है पर्यावरण, पर्यावरण में जल आता है जल से प्रकाश बना उसे अपनी आत्मा बनी जैसे जल का सूरज जल का चंदा जल का सकल पसारा इसलिए जल का जीव होता है पर्यावरण में क्या आता है जल जीव वायु ये ही आता है इनके लिए जो बातें चल रही हैं चलो बापजी ने कुछ बीघे जमीन लीज करवाई खनन में लगाया पैसा बापजी ने पेटी में रखा ट्रक लगाने वाले ठेकेदार ने माल लिया उसने बेचा उसको मजा आया बेचने वाले ने भी पैसा कमाया दोनों को मजा आया गांव में 500 घर हैं दो ही धापे दोनों ने डकार लिया पर बाकी के 498 घर की भूख कहा गई उसकी पूर्ति कौन करे यहां का दूध खत्म हुआ घी खत्म हुआ जल खत्म हुआ इनके साथ अब झील भी खत्म होने वाली है अब कौन देखे ये बात ये जो धंधा है कोई बोले नहीं इसका मतलब ये नहीं


(दीपेन्द्र सिंह रावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर


वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कि कोई मूर्ख नहीं है ये सब समझ रहे हैं कहने वाले कोई भी इंसान जो बोलता है तो ये हमारे लिए दुख आ रहा है हमारे गांव में 498 घर के लिए तकलीफ उसका हम को बताओं बापजी ने 16 बीघे का पट्टा कराया और 32 बीघे पर मलबा डाल दिया जमीन चरनोट की जमीन बिलानाम की है जमीन फॉरेस्ट की है तो क्या उसका कोई धनी धोरी नहीं है तो उसका क्या जवाब देना चाहिए आपका पट्टा थोड़ी है दूसरी बात यह है कि नील गाय है तो सरकार ने बंदी कर दी है कि आप गोली नहीं मार सकते। अब खेती में बंदर नील गाय जैसा जानवर परेशानियां करते हैं तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। खेती नहीं करेगे तो क्या खाएंगे हम लोग।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "स" में सलग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "द" में सलग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महोदय ने श्री दीपेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।


(कुंज बिहारी पालीवाल)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,
राप्रनिम, जिला-उदयपुर
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)


(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन),
जिला-उदयपुर

श्रीकृष्ण कनिगाई छप्री
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(राज.) उदयपुर

मैसर्स हवेली मार्बल प्रा. लि., क्वार्टर, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन (एम एल नं. 23/2023, क्षेत्रफल-4.0598 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 8,01,335 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर, फेल्डसपार एवं मेसेनरी स्टोन उत्पादन क्षमता 2,85,714 TPA, निकट ग्राम- मायदा, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत दिनांक 26.06.2025 को दोपहर: 01.00 PM बजे, अटल सेवा केन्द्र सुलावास, तहसील-गिर्वा (कुराबड़), जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:-

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Dipendra Singh	Adm Adm.	
2	कृष्ण खिलारी पालीवाल	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सी.डी.ओ. नि.म.	
3	श्री वाई	सुलावास गिर्वा	
4			
5	C.P. Jeengar	R&PCB, Udaipur	
6	जोधासिंह मायदा	मायदा	
7	लंकाजी	श्री लंकाजी	
8	भदराजी	सुलावास	
9	मोहनसिंह	सुलावास	
10	मंजराज 3121	सुलावास	
11	हरजीश	सुलावास	
12	वदनजी	सुलावास	
13	बावरी	सुलावास	
14	नानी बाई	सुलावास	
15	सविंद्र सिंह	सुलावास	
16	अनारज	सुलावास	
17	मालवी	मालवी डा.सावरा	
18	हेमंत सिंह	चौहानो का कुडा	
19	भवंत सिंह चौहान	आसावरा	
20	राजेंद्र सिंह उपाध्याय	मायदा	
21	डॉ. जितेंद्र सिंह उपाध्याय	मायदा	

[illegible]

बिजली की गजनी एव रिमाइम बारिश
चलती रही। उपखण्ड मुख्यालय पर
रात 8.30 बजे से रिमाइम बारिश का
दौर चलता रहा।

A black and white photograph showing a group of approximately ten people seated around a long, rectangular table in a meeting room. The participants are dressed in formal attire, including suits and dresses. They appear to be engaged in a discussion or a formal meeting. The room has a simple, functional design with a dark door visible in the background.

बैठक में एडीएम राजलक्ष्मी गहलोत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी इंजीनियर, एवीवीएनएल के अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त सलूबर के अधीक्षण अभियंता, सृष्टि सेवा समिति, आईएसए, टीपीआई सहित सभी विभागों के अधिकारी और प्रमुख संवेदक मौजूद रहे।

[illegible]

१. सर्वसाधारण को सूचित किया है कि महेश चंदी महंत या, कि. म.ल. नं. २४/२००३ (केएसएल १०५२१ हेक्टर) "कावेरि, हेलसावर व मेनेरीनी स्टेशन याग मावडा, हतसीनी-गुर्वा (कुतुबग), विला- अय्यपुर पर्वतश्रिता परियोजना (कालावत व मेनेरीनी स्टेशन (म.ल. नं. २४/२००३) (केएसएल १०५२१ हेक्टर) अन्तर्गत परियोजना मावडा १,००,००० टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रवाशन राज्यावर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (याग हवा बाक व मण्डल को नोम व अभिलेखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है। विला परियोजना का प्रवाशन विलीनी स्वीकृति के लिए लोको सुचारुगई बनाने (अथवा विला बनाने) है। और सूचित करने को ऊपर परियोजना हो, पर्यावरण के अनुसार परियोजना मावडा, मावडा संकरग, नई दिल्ली द्वारा और अभियोजना सं. रा.ओ. १५३३ ११.२००६ व अन्तर्गत लोको सुचारुगई होइ आचार के सुचना जारी कर अथवा के नोडोस द्वारा जारी आदेशक है। ३. ऊपर परियोजना के सम्बन्धित अभिलेख (कालोनी संरक्षण) निम्नलिखित कालोनी व प्र अर्थ है। १) कालोनी विला कालवर, अय्यपुर (२) सदर्य लोचि, परियोजना राज प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुयुयुयन ४२ संतुकिने होइ हलाना धूरी, अय्यपुर। ३) कालीय कावलीय वन, पर्यावरण के अनुसार परियोजना मावडा, मावडा संकरग ए-२१६, अलस नल संतुकिने होइ हलाना धूरी, अय्यपुर। ४) कालीय कावलीय वन के पर्यावरण मावडा, कर्नाटक नम, ५ ताल, मेनेर्य वर, आजीनी ललकन (३.३) ५) नुय कालोनी आजीनी, विला परियोजना (६) अन्तर्गत आजीनी, हतसीनी-गुर्वा (कुतुबग) विला (७) सदर्य याग मावडा, हतसीनी-गुर्वा (कुतुबग), विला- अय्यपुर (८) निदेक, पर्यावरण विभाग, मावडा संकन ८२४० दिवेर्य लल, उ-ग (हलसावर) नम, सोवियान, अय्यपुर। ९) कालीय आजीनी, राज्यावर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एग ४७० वी.सी.सी.आई. नम के पाल, मेनेर्य आजीनी प्र.स, मावडी (अय्यपुर) अल: सर्वसाधारण को नोडोस के मायने से लद: द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोको सुचारुगई दि. २८.०६.२००५ (पुनराव) को प्रद: ११ वीं अउर लोको सुचारुगई, व. निर्वा (कुतुबग), विला अय्यपुर न उन्धिया होकर अल सुचारुग प्रस्तुत कर सकते है। याग ही इत समक्ष में मिलित राज्यावर आजीनी इत सुचना के कलशन की तिथि से ३० दिनेस के अन्दर कालीय कावलीय, राज्यावर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कालीय कावलीय, अय्यपुर न प्र प्रस्तुत किया जा सके। ६) कालीय आजीनी रा.रा.प्र.नि.म., अय्यपुर

[illegible]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी व्यवहारिक श्रोतनी रेणु भुवागत पत्नी श्री योगेश कुमारता, निवासी-21, गुवाण, नवरात कांयपलस के पास, उदयपुर (राज), न श्रोतनी रिकु कुंर पत्नी श्री चन्द्रान सिंह शाला, निवासी रूपनगर, नये आरजेर के पास, काली मारी, गुवाण, उदयपुर (राज), से उसके स्वागित ग्राम आपनका का एक मकान जो कि राजस ग्म रूपनगर (गुवाण) के खसरा संख्या 4202 में स्थित होकर, पुराने प्लान अनुसार भूखंड संख्या-3, कुल क्षेत्रफल 1025 वर्गफीट होकर ग्राउण्ड + द्वितीय पलोर निर्मित है जिसके पडोस पूर्व में भूखंड संख्या-2, पश्चिम में भूखंड संख्या-4, उत्तर में आम रास्ता 20 फीट सेकव व दक्षिण में होटल झंकार स्थित है, को क्रय करने हेतु विपुय इकरार निष्पादित किया है तथा विपुय ग्राम पंजीकृत करने की कायदाही विवाधीनी है। इसलिये इस आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था को उक्त मकान के हस्तान्ताण, अन्तरण संबंध में किसी प्रकार की कोई उजर आपत्ति हो ता 07 दिवस के भीतर मुझ अधिवक्ता को दस्तावेजों के साथ सूचित करे।

स्थान: उदयपुर कमलेश दाणी (एडवोकेट)
 दिनांक 22.05.2025 चेन्नई नं. 28, कोर्ट परिसर,
 उदयपुर (राज). मो.नं. 9828056023

नोट: शुद्धिपत्र एवं परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो <https://eproc.punjab.gov.in> पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

उच्च माध्यामिक (विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग व वरिष्ठ उपाध्याय) परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 22.05.2025 को घोषित किया गया है। संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिका की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 29.05.2025 एवं विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.06.2025 तक ई-मित्र पर अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें व आवेदन पत्र प्राप्ति प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajjasthan.gov.in पर एवं दिनांक 22.05.2025 की ओर अपलोड की गई विज्ञप्ति में देखें।

महत्त्वपूर्ण सूचना: अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट www.aiimsjodhpur.edu.in देखें। किसी भी प्रकार के संशोधन / शुद्धिपत्र आदि सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे अतः आवेदक नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

डीन (शैक्षणिक)

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
तहसील-मावली जिला-उदयपुर (राज.)	राजस्थान ग्राम-फतहनगर, पटवार हल्का-फतहनगर	279,280 कुल किता 02	रकबा 0.5099 हेक्टेयर यानी 54865.24 वर्गफीट यानी 6096.13 वर्गज यानी 5099 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान प्र.राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकार के निष्पादन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गयी।

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका फतहनगर, सनवाई

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

(एक 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेडा औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
E-Mail ID: ropcbudaipur@gmail.com, फोन-2491269
RPOB/RO UUDR/3201/Rajkaj Ref. No. 15449776 दि. 21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वप्रथम लोक सुनवाई का दिन है कि मेरे लिये खोजी गई है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (राज.) द्वारा मेरे मकान के पास से अतिरिक्त के समस्त प्रदूषण किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई प्रस्ताव अर्पित किया गया है। 2. और मुझे मकान को उस परियोजना हेतु बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माता सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एन.ओ. 1533 दि. 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया गया आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सार्वजनिक (सार्वजनिक) प्रभावित कार्यालयों पर उपलब्ध है (1) कार्यालय मिला कम्पन्ड, उदयपुर (2) सहायक सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुन्हालय 4 संस्थापक क्षेत्र इलाहाबाद, उदयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माता सरकार-216, अन्य भवन संस्थापक क्षेत्र इलाहाबाद, उदयपुर (4) क्षेत्रीय कार्यालय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अतीरिज सल्लक (अ.प्र.) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिला परिवार उदयपुर (6) उत्तरांचल अधिकारी, तहसील-गिरा (कुर्बुख) जिला उदयपुर (7) सचिव ग्राम मादड़ी, तहसील-गिरा (कुर्बुख), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्पा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-ए (हस्तसम) भवन, सचिवालय, बजपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, एक 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेडा औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर अतः संस्थापक क्षेत्र नोटिस के माध्यम से हर दर सुचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे अर्द्धरात्रि के बाद सुनाया, ग. गिरा (कुर्बुख), जिला उदयपुर में अतिरिक्त होकर अपने सुनाय प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस समय में निदेशक सुनाय/अभिप्रेत इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

(एक 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेडा औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
E-Mail ID: ropcbudaipur@gmail.com, फोन-2491269
RPOB/RO UUDR/316/Rajkaj Ref. No. 15449730 दि. 21/5/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

1. सर्वप्रथम लोक सुनवाई का दिन है कि मेरे लिये खोजी गई है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (राज.) द्वारा मेरे मकान के पास से अतिरिक्त के समस्त प्रदूषण किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई प्रस्ताव अर्पित किया गया है। 2. और मुझे मकान को उस परियोजना हेतु बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माता सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एन.ओ. 1533 दि. 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिनों का नोटिस दिया गया आवश्यक है। 3. उक्त परियोजना से सम्बंधित सार्वजनिक (सार्वजनिक) प्रभावित कार्यालयों पर उपलब्ध है (1) कार्यालय मिला कम्पन्ड, उदयपुर (2) सहायक सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुन्हालय 4 संस्थापक क्षेत्र इलाहाबाद, उदयपुर (3) क्षेत्रीय कार्यालय बन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माता सरकार-216, अन्य भवन संस्थापक क्षेत्र इलाहाबाद, उदयपुर (4) क्षेत्रीय कार्यालय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अतीरिज सल्लक (अ.प्र.) (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिला परिवार उदयपुर (6) उत्तरांचल अधिकारी, तहसील-गिरा (कुर्बुख) जिला उदयपुर (7) सचिव ग्राम मादड़ी, तहसील-गिरा (कुर्बुख), जिला- उदयपुर (8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कम्पा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-ए (हस्तसम) भवन, सचिवालय, बजपुर। (9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, एक 470 यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेडा औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर अतः संस्थापक क्षेत्र नोटिस के माध्यम से हर दर सुचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित लोक सुनवाई दि. 26.06.2025 (गुरुवार) को प्रातः 11 बजे अर्द्धरात्रि के बाद सुनाया, ग. गिरा (कुर्बुख), जिला उदयपुर में अतिरिक्त होकर अपने सुनाय प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस समय में निदेशक सुनाय/अभिप्रेत इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। क्षेत्रीय अधिकारी रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर

बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
"परिशिष्ट-IV-क" [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आप लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कच्चा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसी है जहाँ है", "जो है जैसी है" और "जितनी भी उपलब्ध है" के आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ोदा, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित छाते की वस्तु हेतु बंटा जाएगा। श्रुतिगो/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, घोहर राशि एवं बोली बुद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्र. सं.	श्रुतिगो/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	जात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का सहाय विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक ई-नीलामी का समय प्राथम्य सत्य से सम्बंधित समय	आरक्षित मूल्य (शुद्ध) बोली बुद्धि राशि	कच्चे की विधि (संबंधित/वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय	
1.	श्री मुकेश कुमार कोठारी पुत्र श्री अमृत लाल कोठारी गांव आंडा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान जमानतदार-श्री कृष्ण कुमार कोठारी पुत्र श्री लक्ष्मी लाल गजपुर, पी.ओ. झाड़ोल 313702 एवं द्वारा कृष्ण एम.एस.पी. एवं पाण्डे सेंटर, बस स्टेशन के पास झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान श्री गजेंद्र मोहनिया पुत्र श्री श्री लाल मोहनिया गांव आंडा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान एवं द्वारा यश एंटरप्राइजेज, उदयपुर रोड, झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान 313702	श्री मुकेश कुमार कोठारी पुत्र श्री अमृत लाल कोठारी के नाम सामूहिक बंधक आवसीय संपत्ति जो राजव गांव आंडा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1092 वर्ग फीट है। सीमाएं-पूर्व: होरालाल/अम्बालाल का मकान, पश्चिम: मुकेश कोठारी का मकान/स्वयं का मकान, उत्तर: राड, दक्षिण: हगामी लाल/धंवर लाल का मकान अन्य श्रुति, भार: ज्ञात नहीं।	रुपये 11,33,971.87 दिनांक 31.08.2019 को बकाया एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य वस्तुओं खर्च इत्यादि।	30.06.2025	आरक्षित मूल्य-रुपये 19,20,000/-	घोहर राशि-रुपये 1,92,000/-	वास्तविक	25.06.2025 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के लिये कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> एवं ऑनलाइन नीलामी पोर्टल <https://baanet.com> देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क नं.- 02959-220074, मोबाईल नं. 8875025614 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 21.05.2025
स्थान: झाड़ोल (उदयपुर)

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ोदा

गश्त की जा रही थी। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता

ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम है योग : प्रो. सारंगदेवोत

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान विद्यापीठ विवि के संघटक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पीजी डिप्लोमा इन योग के विद्यार्थियों की ओर से आयोजित विदाई समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर, पीठ स्थविर डॉ. कौशल नागदा, प्राचार्य प्रो. सरोज गर्ग ने किया।

समारोह में योग विद्यार्थियों ने योग की विभिन्न मुद्राओं को प्रस्तुत कर सभी को रोमांचित कर दिया। अतिथियों द्वारा सभी विद्यार्थियों का उपरणा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि योग ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। प्राचीनकाल से ही भारत में योग की परम्परा रही है, पूरे विश्व में योग भारत की ही देन है। इस अवसर पर डॉ. रचना राठौड़, डॉ. सुनिता मुर्धिया, डॉ. बलिदान जैन, डॉ. ममता कुमावत, सवाराम डांगी, डॉ. सुभाष पुरोहित सहित महाविद्यालय के अकादमिक, गैर अकादमिक कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। संचालन भानुप्रिया आमेडा आभार योग समन्वयक डॉ. रोहित कुमावत ने जताया।

विद्युत चोरी के 62 प्रकरण दर्ज, 15 लाख जुर्माना

उदयपुर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उदयपुर की सतर्कता टीमों ने अधीक्षण अभियंता के आर. मीना के निर्देशन में दीवान शाह कॉलोनी, खाँजी पीर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए विद्युत चोरी के 62 प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें लगभग 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मौके पर सतर्कता टीम द्वारा अवैध केबलों को उतारा गया। अधीक्षण अभियंता मीना ने बताया कि निगम की तरफ से कच्ची बस्तियों एवं कमजोर आयु वर्ग हेतु सरकार ने पहले से ही रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन देने की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी अनेक बार शिविर लगाकर कनेक्शन दिए गए हैं वं समय-समय पर निवासियों को समझाइश कर कनेक्शन लेने हेतु प्रेरित किया जाता रहा है, इसके बावजूद दीवान शाह कॉलोनी, खाँजी पीर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन लेकर विद्युत चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इस पर सतर्कता टीम द्वारा दलबल के साथ पुलिस प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्यवाही की गई। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ तथा ऐसे उपभोक्ता जिनके मीटर है लेकिन कई उपकरण अवैध कनेक्शनों से चला रहे हैं।

51 खाद्य पदार्थ अमानक पाए

राजसमंद, (निसं)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में 1 अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक कुल 173 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। प्रयोगशाला में जांच के बाद 51 खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए। सीएमएचओ डॉ. हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि तुलसी रेस्टोरन्ट देवगढ, हरिओम भोजनालय लापस्या, भाग्यलक्ष्मी डेयरी एण्ड किराणा चारभुजा एवं श्री शिव डेयरी फार्म सीयाणा से लिए गए दही के नमूने अमानक पाए गए। वहीं शिव सर्वोदय होटल एण्ड फेमिली रेस्टोरन्ट फियावडी, मामा होटल गुंजोल, मां भवानी दूध डेयरी भीम, गोवर्धन रेस्टोरन्ट कुम्भलगढ, न्यू शिव शक्ति डेयरी धोलीदांती से लिए पनीर के नमूने अमानक पाए गए।